तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/11/22	पत्रावली पेश हुई। चूँकि मूल वाद अद्यम पैरवी व अद्यम हाजिर खारिज हो चुका है, इसलिए प्रार्थना पत्र ला दोई औचित्य नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बजाय कलक्टर एवं [illegible]
(फार्म 5 क) कलक्टरी